रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 374] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

सा.का.नि. 470(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम 20 मई, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 37 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) नियम 37 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट"—

(I) उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिसमें प्ररूप 24 फाइल करने से पूर्व सीमित दायित्व भागीदारी ने अपना कारबार या वाणिज्य प्रचलन दायित्व भागीदारी ने अपना कारबार या वाणिज्य प्रचलन बन्द कर दिया है, प्ररूप 8 और प्ररूप II में अतिशोध्य विवरणियां फाइल करेगी।

(II) प्ररूप 24 के साथ निम्नलिखित संलग्न करेगी,—

(क) लेखा विवरण जिसमें शून्य आस्तियां और शून्य दायित्वों का प्रकटन हो जो व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट से प्रमाणित हो जो प्ररूप 24 के फाइल किए जाने की तारीख से 30 दिन से पूर्व नहीं बनाया गया है;

(ख) अभिहित भागीदारों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से हस्ताक्षरित इस प्रभाव का एक शपथ पत्र कि,—

(i) सीमित दायित्व भागीदारी ने व्यवसाय शुरू नहीं किया है या जहां उसने व्यवसाय शुरू किया था उसने ऐसा व्यवसाय .... (तारीख/मास/वर्ष) को बंद कर दिया है।

(ii) यह कि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई दायित्व नहीं है और किसी ऐसे दायित्व की क्षतिपूर्ती का वचन देता है जो उसके रजिस्टर में से नाम हटाने के बाद भी उद्भूत हो सकेगी।

(iii) सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई बैंक खाता नहीं खोला है और जहां उसने खाता खोला था, वहां उसके बैंक खाता (खाते) को, साथ में संबंधित बैंक से बैंक खाता बंद होने संबंधी प्रमाणपत्र या विवरण के साथ बंद कर दिया/दिए हैं।

(iv) यह कि सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई आयकर विवरणी फाइल नहीं की है जहां वह उसके निगमन से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है (यदि लागू हो)।

(ग) आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) और तत्समय प्रवृत्त उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल की गई नवीनतम आय-कर विवरणी की अभिस्वीकृत की प्रति जहां सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई व्यवसाय किया था और ऐसी विवरणी फाइल की थी।

(घ) प्रारंभिक सीमित दायित्व भागीदारी करार की प्रति, उसमें किए गए परिवर्तनों के साथ, यदि किया गया था और फाइल नहीं किया गया था उस दशा में जहां सीमित दायित्व भागीदारी ने व्यवसाय या वाणिज्यक प्रचालन इसके निगमन से शुरू नहीं किया है।

स्पष्टीकरण : व्यवसायिक प्रचालन को बंद करने की तारीख वह तारीख होगी जिससे सीमित दायित्व भागीदारी ने अपने राजस्व सृजन करने वाले व्यवसाय को बंद कर दिया है और संव्यवहार, जैसे, देनदारों से धन प्राप्ति या लेनदारों को धन का संदाय ऐसी बंदी के पश्चात् इस इस तरह बंद राजस्व सृजन करने वाले कारबार का भाग नहीं होंगे।"

(3) मूल नियमों के प्ररूप 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

[प्ररूप 24]

[सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37(1)(ख) और नियम 37(1क) के अनुसरण में]

नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन

टिप्पण : *चिन्हित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरें।

1. सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) — [ ] पहले से भरा हुआ

2. (क) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) का नाम —

____

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

____

____

(ग) *ई-मेल आई.डी.- ______________________________

3. *आवेदन करने के कारण पाठ बॉक्स [200 शब्द]

4. *क्या नवीनतम आयकर विवरणी फाइल की है ०हां ०नहीं

5. *वह तारीख जिससे सीमित दायित्व भागीदारी ने कारबार करना बंद किया है तारीख/मास/वर्ष

संलग्नक :

(क). * सभी भागीदारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन प्रति तैयार करने के लिए प्राधिकरण की प्रति

संलग्न करें

संलग्नकों की सूची

(ख). *नवीनतम आय-कर विवरणी की अभिस्वीकृति की प्रति

संलग्न करें

(ग).* शून्य आस्तियों और शून्य दायित्वों का प्रकटीकरण करने वाले लेखों का विवरण
[नियम 37 के उपनियम(1क) के खंड (II) का उपखंड (क)]

संलग्न करें

(घ). *अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित शपथ-पत्र
[नियम 37 का उपनियम (1क) का खंड (II) का उपखंड (ख)]

संलग्न करें

(ङ). वैकल्पिक संलग्नक – यदि कोई है

संलग्न करें

संलग्नकों को हटाना

सत्यापन

इस आवेदन में दी गई सूचना और इसके संलग्नक मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं इससे अवगत हूं कि यदि किए गए कथनों का कोई भाग या इसमें दी गई सूचना में कोई ऐसा अशुद्ध कथन अन्तर्विष्ट है जो किसी तात्विक विशिष्टी में मिथ्या है या किसी सारवान तथ्य का लोप किया गया है तो मैं सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 37 के तहत अभियोजन का भागीदार होगा।

अभिहित भागीदार द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर के लिए

*अभिहित भागीदार की अभिहित साझेदार पहचान संख्या (डी.पी.आई.एन.)

उपान्तरण करें फार्म की जांच करें पूर्व संवीक्षा

कार्यालय प्रयोग के लिए:

ई-प्रपत्र सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई प्रपत्र दाखिल करने की तारीख
..................(तारीख/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

इस ई-प्रपत्र का अनुमोदन किया जाता है................................प्रस्तुत करने की पुष्टि करें
इस ई-प्रपत्र को अस्वीकृत किया जाता है................................

[फा. सं. 17/61/2016-सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 1 अप्रैल, 2009 की सा.का.नि. संख्या 229(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में तारीख 4 जून, 2009 की सा.का.नि. संख्या 385(अ) एवं 386(अ), तारीख 6 जनवरी, 2010 की सा.का.नि. संख्या 6(अ), तारीख 11 जनवरी, 2010 की सा.का.नि. संख्या 24(अ), तारीख 15 नवंबर, 2010 की सा.का.नि. संख्या 914(अ), तारीख 5 जुलाई, 2011 की सा.का.नि. संख्या 506(अ), तारीख 14 सितंबर, 2011 की सा.का.नि. संख्या 680(अ), तारीख 4 नवंबर, 2011 की सा.का.नि. संख्या 796(अ), तारीख 5 जून की सा.का.नि. संख्या 430(अ), तारीख 21 जून, 2012 की सा.का.नि. संख्या 485(अ), तारीख 14 सितंबर, 2012 की सा.का.नि. संख्या 692(अ) और तारीख 29 अप्रैल, 2015 की सा.का.नि. संख्या 333(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 की सा.का.नि. संख्या 785(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2016 की सा.का.नि. संख्या 418(अ), तारीख 10 जून, 2016 की सा.का.नि. संख्या 593(अ) द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2017

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely:—

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 20th May, 2017.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009 (herein after referred to as the Principal Rules), in rule 37, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) The limited liability partnership referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 37 shall,—

(I) file overdue returns in Form 8 and Form 11 up to the end of the financial year in which the limited liability partnership ceased to carry on its business or commercial operations before filing Form 24;

(II) enclose along with Form 24,—

(a) a statement of account disclosing nil assets and nil liabilities, certified by a Chartered Accountant in practice made up to a date not earlier than thirty days of the date of filing of Form 24;

(b) an affidavit signed by the designated partners, either jointly or severally, to the effect,—

(i) that the Limited Liability Partnership has not commenced business or where it commenced business, it ceased to carry on such business from ………….(dd/mm/yyyy);

(ii) that the limited liability partnership has no liabilities and indemnifying any liability that may arise even after striking off its name from the Register;

(iii) that the Limited Liability Partnership has not opened any Bank Account and where it had opened, the said bank account has since been closed together with certificate(s) or statement from the respective bank demonstrating closure of Bank Account;

(iv) that the Limited Liability Partnership has not filed any Income-tax return where it has not carried on any business since its incorporation, if applicable.

(c) a copy of the acknowledgement of the latest Income-tax return filed under the Income-tax Act,1961 (43 of 1961) and the rules made thereunder for the time being in force, where the limited liability partnership has carried out any business and has filed such return.

(d) copy of the initial limited liability partnership agreement, if entered into and not filed, along with changes thereof in cases where the Limited Liability Partnership has not commenced business or commercial operations since its incorporation.

Explanation.—The date of cessation of commercial operation is the date from which the Limited Liability Partnership ceased to carry on its revenue generating business and the transactions such as receipt of money from debtors or payment of money to creditors, subsequent to such cessation will not form part of revenue generating business.”

3. In the Principal Rules, for Form 24, the following Form shall be substituted, namely:—

“FORM 24

[Pursuant to rule 37(1) (b) and rule 37(1A) of Limited Liability Partnership Rules, 2009]

APPLICATION TO THE REGISTRAR FOR STRIKING OFF NAME

Note: All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. *Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) [ ] Pre-Fill

2. (a) Name of the Limited Liability Partnership (LLP)

[ ]

(b) Address of the registered office of the LLP

[ ]

(c) *e-mail ID [ ]

3. *Reasons for making the application Text Box. (200 words).

[ ]

4. *Whether up to date Income-tax returns filed* Yes ○ No ○

5. *Date from which the LLP Ceased to carry on business* dd/mm/yyyy

Attachments:

(a) *Copy of authority to make the application duly signed by all partners [Attach]

(b) Copy of acknowledgement of latest Income-tax Return [Attach]

(c) *Statement of Accounts disclosing Nil Assets and Nil Liabilities [sub-clause (a) of clause (II) of sub-rule (1A) to rule 37] [Attach]

(d) * Affidavit signed by designated partners [sub-clause (b) of clause (II) of sub-rule (1A) to rule 37] [Attach]

e. Optional attachment(s) – if any [Attach]

List of attachments

[Remove Attachment]

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in the application and its attachments is correct and complete. I am aware that I shall be liable for prosecution under section 37 of the LLP Act,2008 if any part of the statements made or information furnished herein contain any misstatement which is false in any material particular or omission of any material fact.

To be digitally signed by a designated partner

*Designated Partner Identification Number (DPIN) of the designated partner

[Modify] [Check Form] [Pre scrutiny]

Form office use only:

E-Form Service Request Number (SRN) e-Form Filing Date (DD/MM/YYYY)

Digital Signature of the authorizing officer

This e-Form is hereby approved [Confirm submission]

This e-Form is hereby rejected

“.

[F. No. 17/61/2016-CL-V]

Amardeep Singh Bhatia, Jt. Secy.

Footnote : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No 229(E), dated 1st April, 2009 and subsequently amended by GSR No 385(E)

and 386(E), dated 4th June, 2009, GSR No. 6(E), dated 6th January, 2010, GSR 24(E), dated 11th January, 2010, GSR 914(E) dated 15th November, 2010, GSR 506(E) dated 5th July, 2011, GSR 680(E), dated 14th September, 2011, GSR 796(E), dated 4th November, 2011, GSR 430(E), dated 5th June, 2012, GSR 485(E), dated 21st June, 2012, GSR 692(E), dated 14th September, 2012 and GSR 333(E), dated 29th April, 2015, GSR 785(E), dated 15th October, 2015, GSR 418(E), dated 13th April, 2016, GSR 593(E), dated 10th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.18 22:44:43 +05'30'